भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 354

05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया स्कीम

354. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

श्री अनुराग शर्मा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एण्ड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली फर्मो का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत फर्मों को दिए जाने वाले प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत उन्नत रसायन प्रकोष्ठों की कितनी विनिर्माण क्षमता जोड़ी गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत कोई निगरानी तंत्र तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार द्वारा उक्त स्कीम के अंतर्गत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण, चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) स्कीम तैयार की है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और

इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 01.12.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत, 11,53,079 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5228.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है (http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard.aspx के अनुसार)।

बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वाहन का प्रकार**	**वाहन की कुल संख्या**
1.	दुपहिया	10,16,887
2.	तिपहिया	1,21,374
3.	चौपहिया	14,818
कुल		**11,53,079**

इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार की इकाइयों को इंट्रासिटी प्रचालनों के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी है। अद्यतन स्थिति अर्थात् अर्थात 29 नवंबर, 2023 तक तक 6862 ई-बसों में से 3487 ई-बसों की आपूर्ति एसटीयू को की जा चुकी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग): फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंत-प्रयोक्ताओं) को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन/रियायत प्रदान की जाती है ताकि इसका व्यापक अंगीकरण हो सके, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण

विनिर्माताओं (इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं) को की जाएगी। वर्तमान में, 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए कुल 62 मूल उपकरण विनिर्माता पंजीकृत किए गए हैं। दिनांक 15/11/2023 तक पोर्टल पर कुल 5,094 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से अब तक 3,815 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं।

(घ): फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत उन्नत रसायन सेल की विनिर्माण क्षमता का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने हेतु 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण' के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी है जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए है। साथ ही, उत्कृष्ट उन्नत रसायन सेल प्रौद्योगिकियों के 5 गीगावाट घंटा को भी इस स्कीम के तहत कवर किया गया है।

(ड.): निगरानी तंत्र में फेम दिशानिर्देशों अर्थात् चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अपनाना और मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना तथा परीक्षण एजेंसियों के माध्यम से वाहनों का परीक्षण करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम की समग्र निगरानी, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में “परियोजना कार्यान्वयन और संस्वीकृति समिति (पीआईएससी)” नामक एक अंतर-मंत्रालयीय अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(च): जी, नहीं।

****